"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015—चैत्र 6, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृष्णा प्रसाद देवांगन पिता श्री के. आर. देवांगन, उम्र-44 वर्ष, हाल मुकाम-जशपुरनगर, जिला जशपुर (छ.ग.) स्थाई निवासी द्वारा-श्री बी. एल. देवांगन, गायत्री मंदिर के सामने चांटीडीह मुख्यमार्ग बिलासपुर, सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. प्रिंसी देवांगन (PRINCY DEWANGAN), जन्म तिथि 22-11-2002, उम्र 12 वर्ष का नाम समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं पासपोर्ट व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है को परिवर्तित कर मैं अपनी पुत्री का नाम कु. वैभवी देवांगन (VAIBHVI DEWANGAN) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मेरी पुत्री को कु. वैभवी देवांगन पिता श्री कृष्णा प्रसाद देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

कु. प्रिंसी देवांगन (PRINCY DEWANGAN)
पिता-कृष्णा प्रसाद देवांगन
निवासी-हाल मुकाम जशपुरनगर जिला-जशपुर (छ.ग.)
स्थायी निवासी-द्वारा श्री बी. एल. देवांगन, गायत्री मंदिर के सामने
चांटीडीह, मुख्य मार्ग बिलासपुर-सरकण्डा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

नया नाम

कु. वैभवी देवांगन (VAIBHVI DEWANGAN)
पिता-कृष्णा प्रसाद देवांगन
निवासी-हाल मुकाम जशपुरनगर जिला-जशपुर (छ.ग.)
स्थायी निवासी-द्वारा श्री बी. एल. देवांगन, गायत्री मंदिर के सामने
चांटीडीह, मुख्य मार्ग बिलासपुर-सरकण्डा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक क्यू/प्र. 2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि हेमरोन दास आ. स्व. गोपाल दास निवासी 59/4 नेहरूनगर वेस्ट भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा होप इंटरनेशनल फाउण्डेशन पब्लिक ट्रस्ट नेहरूनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया गया कि कथित आवेदन पर दिनांक 23-03-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	होप इंटरनेशनल फाउण्डेशन पब्लिक ट्रस्ट नेहरूनगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग.
(2)	अचल संपत्ति	:	मठपुरैना प.ह.नं. 105/47, रा.नि.मं. रायपुर-1, तहसील व जिला-रायपुर वार्ड नं. 52, नगर निगम सीमा के अंदर बाजार मूल्य 4,48,000.00 (चार लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र)
(3)	चल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. वाजपेयी,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2015

प्र. क्र./337 /ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/337/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राकेश चतुर्वेदी, निवासी हाउस नं. एच-18 अनुपम नगर रायपुर द्वारा "यूथ वेलफेयर ट्रस्ट" रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3261 अनुपम नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 30-03-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 20-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"यूथ वेलफेयर ट्रस्ट" रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3261 अनुपम नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	14,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2015

प्र. क्र./338 /ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/338/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नीलकंठ अग्रवाल निवासी पुरानीबस्ती रायपुर द्वारा "दाऊ कन्हैया लाल अग्रवाल स्मृति ट्रस्ट" अग्रसेन भवन के पास पुरानीबस्ती रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 30-03-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 20-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"दाऊ कन्हैया लाल अग्रवाल स्मृति ट्रस्ट" अग्रसेन भवन के पास पुरानीबस्ती रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	11,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 24 फरवरी 2015

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 को नियम 5 का उप नियम (1) देखिये]

क्रमांक 710/वाचक-1/2015.—यह कि श्री श्री 108 श्री बजरंग दास महाराज आ. हरिशचन्द, निवासी अखाड़ा तेरा भाई त्यागी, पडीला महादेव इलाहाबाद (उ.प्र.) वर्तमान पता ग्राम व पोस्ट करजी, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) ने छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23-03-2015 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: मैं एन. एस. भगत अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23-03-2015 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री शंकर मन्दिर धार्मिक लोक न्यास, ग्राम करजी पोस्ट करजी तहसील-अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये 1000.00 (एक हजार रुपये)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

अंबिकापुर, दिनांक 24 फरवरी 2014

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 को नियम 5 का उप नियम (1) देखिये]

क्रमांक 712/वाचक-1/2015.—यह कि श्रीमती राजरानी अग्रवाल पति कृष्ण कुमार अग्रवाल, निवासी चंचल हार्डवेयर, जवाहर मार्केट, नवापारा, नगर अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) ने छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23-03-2015 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: मैं एन. एस. भगत अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23-03-2015 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री दादी रानी सती मन्दिर (दादी मण्डली) धार्मिक लोक न्यास, नगर अम्बिकापुर तहसील-अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये 6,80,500.00 (छः लाख अस्सी हजार पांच सौ मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एन. एस. भगत,
पंजीयक.

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास आरंग-अभनपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/120/अविअ/न्यास (ट्रस्ट)/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संत श्री असंग साहेब, देवकर साहेब, प्रवीण दास, अनुपम दास, संजय एवं शोधकर दास निवासी ग्राम सोनपैरी तहसील अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग. द्वारा सदगुरू मानव सेवा असंग आश्रम पता ग्राम सोनपैरी तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. को छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट (न्यास) अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट (न्यास) के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 26-03-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 26-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	सदगुरू मानव सेवा असंग आश्रम ग्राम सोनपैरी, तह. अभनपुर
(2)	चल संपत्ति	:	दान से प्राप्त होने की प्रत्याशा में :— 1. 10 लाख रुपये एफ.डी.आर. से 2. जनवरी फरवरी 2015 में 8.50 लाख रुपये
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

दीपक कुमार अग्रवाल,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.